



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 26.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 02 वर्ष के कारावास की सजा व दिया गया 5,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर व मानीट्रिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 02 वर्ष के कारावास की सजा व दिया गया 5,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.10.1997 को वादी प्रेमचन्द्र पुत्र अंगद सिंह निवासी थाना साहिल जनपद औरैया द्वारा रात्रि में सहकारी समिति का ताला तोड़ खाद चोरी करने के संबंध में थाना बसरेहर पर तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0-182/1997 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 पवन कुमार आर्या एवं मानीट्रिंग सैल व एपीओ श्री जगदीश प्रसाद द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 26.11.24 को मा0 न्यायालय ACJM-I इटावा द्वारा 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. प्रेमचन्द्र पुत्र अंगद सिंह निवासी पूर्वा गेहूँचना थाना साहिल जनपद औरैया ।